संख्या:- 790/2015/1786/69-1-2015-14(165)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ: दिनांक: 26 अगस्त 2015

विषय- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीब की आय सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-1509/241/एन0यू0एल0एम0/तीन/2001-वाल्यूम-II दिनांक 14.07.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की संचालित योजनाओं में शहरी गरीब परिवार को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के रूप में मानते हुए राज्य योजना आयोग, उ0प्र0 द्वारा रू0 25546.00 प्रति परिवार वार्षिक आय वालों को ही लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मिशन डाक्यूमेंट के प्रस्तर-1.3 में अरबन पावर्टी के सम्बन्ध में जो मानक निर्धारित किये गये हैं, उसके अनुसार शहरी गरीब परिवार के आवासीय, सामाजिक तथा व्यवसायिक संरचना के आधार पर आय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0 एण्ड पी0) में शहरी गरीब परिवारों को ही प्रशिक्षण हेतु आच्छादित किया गया है। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि शहरी गरीबों के हित में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटकों के अन्तर्गत रू0 1.00 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक के आय सीमा वाले परिवारों को शहरी गरीब की परिभाषा में आच्छादित किया जाय।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत आच्छादित शहरी गरीबों को अधिकाधिक लाभान्वित किए जाने के दृष्टिगत शहरी गरीब परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय सीमा रू0 1.00 लाख निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

(क्रमशः पृष्ठ-2)

संख्या:-790/2015/ 1786(1)/69-1-2015। तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
9. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
10. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
11. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफीसर/परियोजना निदेशक, डूडा, उ0प्र0।
12. समस्त परियोजना निदेशक, डूडा, उ0प्र0।
13. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. बजट समन्वयक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।